

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 134A/2017-18

फाते टुडू बनाम जयपाल टुडू

:: आदेश ::

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

31.07.18

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता फाते टुडू पिता ठाकुर टुडू ग्राम-जोटा, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावों ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता जयपाल टुडू, पिता-ठाकुरा टुडू, ग्राम- जोटा थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावों को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। बिक्री की जाने वाली भूमि अलग थाना एवं क्रेता का थाना अलग है। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

31/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।